Semester - IV

EC- II

Unit - VIII

E-content

Concept & Definition of Human Rights

1. मानवाधिकार की परिभाषा एवं पृष्ठभूमि

2. मानवाधिकार के विकास के विभिन्न चरण

Vetted by :

प्रो० (डॉ०) सुरेन्द्र कुमार
विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग
पटना विश्वविद्यालय, पटना
संपर्क – 9835463960

डॉ० विद्यानन्द विधाता
अतिथि शिक्षक, इतिहास विभाग
पटना विश्वविद्यालय, पटना
संपर्क – 9472084115

मानव अधिकारों से अभिप्राय "मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्रता से है जिसके सभी मानव प्राणी हकदार है। अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के उदाहरण के रूप में जिनकी गणना की जाती है, उनमें नागरिक और राजनैतिक अधिकार सम्मिलित हैं जैसे कि जीवन और आजाद रहने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के सामने समानता एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ ही साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, भोजन का अधिकार काम करने का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार अनेक प्राचीन दस्तावेजों एवं बाद के धार्मिक और दार्शनिक पुस्तकों में ऐसी अनेक अवधारणाएं है जिन्हें

मानवाधिकार के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। ऐसे प्रलेखों में उल्लेखनीय हैं अशोक के आदेश पत्र, मुहम्मद (saw) द्वारा निर्मित मदीना का संविधान (meesak-e-madeena) आदि.

आधुनिक मानवाधिकार कानून तथा मानवाधिकार की अधिकांश अपेक्षाकृत व्यवस्थाएं समसामयिक इतिहास से संबंध हैं। द ट्वेल्व आर्टिकल्स ऑफ द ब्लैक फॉरेस्ट (1525) को यूरोप में मानवाधिकारों का सर्वप्रथम दस्तावेज माना जाता है। यह जर्मनी के किसान – विद्रोह (Peasants' War) स्वाबियन संघ के समक्ष उठाई गई किसानों की मांग का ही एक हिस्सा है। ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स ने युनाइटेड किंगडम में सिलसिलेवार तरीके से सरकारी दमनकारी कार्रवाइयों को अवैध करार दिया. 1776 में संयुक्त राज्य में और 1789 में फ्रांस में 18 वीं शताब्दी के दौरान दो प्रमुख क्रांतियां घटी. जिसके फलस्वरूप क्रमशः संयुक्त राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा एवं फ्रांसीसी मनुष्य की मानव तथा नागरिकों के अधिकारों की घोषणा का अभिग्रहण हुआ। इन दोनों क्रांतियों ने ही कुछ निश्चित कानूनी अधिकार की स्थापना की।

"मानवाधिकारों" को लेकर अक्सर विवाद बना रहता है। ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि क्या वाकई में मानवाधिकारों की सार्थकता है। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि तमाम प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकारी और गैर सरकारी मानवाधिकार संगठनों के

बावजूद मानवाधिकारों का परिदृश्य तमाम तरह की विसंगतियों और विद्रूपताओं से भरा पड़ा है। किसी भी इंसान की जिंदगी, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार है मानवाधिकार है। भारतीय संविधान इस अधिकार की न सिर्फ गारंटी देता है, बल्कि इसे तोड़ने वाले को अदालत सजा देती है।

प्रतिव्यक्ति आय= किसी देश कि कुल आय मे से कुल

जन्सन्ख्या से भाग देने पर जो भागफल आता हे उसे उस देश का प्रतिव्यक्ति आय कहते है।

पहली पीढ़ी के मानवाधिकारों को, जिन्हें कभी–कभी ष्नीलाष अधिकार कहा जाता है, प्रमुख रूप से स्वतंत्रता और राजनीति में भाग लेने से संबंधित है। ये मौलिक रूप से नागरिक और राजनीतिक प्रवृत्ति के हैं : ये राज्य की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा के लिए हैं, इसलिए इन्हें नकारात्मक अधिकार माना जाता है। पहली पीढ़ी के अधिकारों में अन्य बातों के अलावा, जीवन का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, बोलने की स्वतंत्रता, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता और मतदान जैसे अधिकार शामिल हैं। सबसे पहले इनकी घोषणा 18 वीं शताब्दी में यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स और फ्रांस में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणापत्र में हुई, हालांकि इनमें से कुछ अधिकार और 1215 के

मैग्ना कार्टा में भी दिए गए थे, जो 1689 में इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स में व्यक्त किए गए थे।

दूसरी पीढ़ी के मानव अधिकार समानता से संबंधित हैं। इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सरकारों ने मान्यता दी। ये मूल रूप से आर्थिक, सामाजिक और प्रकृति में सांस्कृतिक अधिकार हैं। ये विभिन्न नागरिकों को समान स्थितियों और बर्ताव की गारंटी देते हैं। माध्यमिक अधिकारों में न्यायसंगत और अनुकूल स्थिति में रोजगार, भोजन, आवास और स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार के साथ–साथ सामाजिक सुरक्षा और बेरोजगारी भत्ते शामिल हैं । पहली पीढ़ी के अधिकारों की तरह, वे भी मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (Universal Declaration of Human Rights) से आच्छादित थे, और आगे भी इसके अनुच्छेद 22 से 28 में और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार में तक सन्निहित हैं।

इन अधिकारों को कभी–कभी “लाल” अधिकार भी कहा जाता है। इन अधिकारों का सम्मान करने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है, लेकिन यह इसपर भी निर्भर करता है कि क्या सरकार के पास इतने संसाधन भी हैं जिससे वह इन्हें पूरा कर सके। चूंकि सरकार संसाधनों को नियंत्रित करती है, इन अधिकारों को लोगों को देने का जिम्मा भी उसी का है।[2][3]

तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार महज नागरिक और सामाजिक अधिकारों से परे हैं। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के कई दस्तावेजों में व्यक्त किया गया है, जिसमें मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 1972 की स्टॉकहोम घोषणा, पर्यावरण और विकास पर 1992 का रियो घोषणा पत्र शामिल है।

"तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार" शब्द काफी हद तक अनौपचारिक बना हुआ है। कै लोग इन्हें "हरे" अधिकार भी कहते हैं। इस तरह अधिकारों का एक अत्यंत व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है :

- समूह और सामूहिक अधिकार
- आत्मनिर्णय का अधिकार
- आर्थिक और सामाजिक विकास का अधिकार
- स्वस्थ वातावरण का अधिकार
- प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार
- संवाद और संचार अधिकार का अधिकार
- सांस्कृतिक विरासत में भागीदारी का अधिकार
- अंतरसरकारी इक्विटी और स्थिरता के अधिकार

Conclusion :

निष्कर्षता कहा जा सकता है कि मानव अधिकार मानव के जन्म के साथ ही उसे प्राप्त हो जाता है, लेकिन जब इन अधिकारों का हनन किया जाने लगा। तब इसके विरूद्ध एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। भारत के संदर्भ में भी यह कहा जा सकता है कि आजादी के पश्चात् मानव के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने प्रयास किया। इसी का परिणाम था कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12–35 तक मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल किया गया और संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत कई कल्याणकारी कार्य करने का दायित्वों राज्य को भी सौंपा गया।

Suggested Readings :

2. The Last Utopia : Human Rights in History by Samuela Moyn

3. Human Rights : The Essential Reference : By Caral

4. The History of Human Rights : By Micheline R. Ishay

5. The Law of Peoples : By John Rawls